

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONE, BHOPAL

Original Application No. 49/2025

IN THE MATTER OF:

Petitioner Rashid Noor Khan (Suo Moto)

Versus

Respondents State of Madhya Pradesh & Ors.

I N D E X

S. No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Action Taken Report in Compliance of Order dated 21.07.2025		02-07
2.	Copy of Report	R-1	08
3.	Copies of Notices dated 16.06.2025, 07.08.2025 and 10.10.2025	R-2 (Colly.)	09-11
4.	Copy of letter dated 17.07.2025	R-3	12
5.	Copy of Letter dated 14.10.2025	R-4	13
6.	Copy of letter dated 08.10.2025	R-5	14

Place: Bhopal

Date: 15.10.2025

Parul

FILED BY

PARUL BHADORIA

Advocate for MPPCB

Ph. No.: (+91)-80859-77111;

Email: parul.bhadoria04@gmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONE, BHOPAL**

Original Application No. 49/2025

IN THE MATTER OF:

Petitioner Rashid Noor Khan (Suo Moto)

Versus

Respondents State of Madhya Pradesh & Ors.

**ACTION TAKEN REPORT IN COMPLIANCE OF
ORDER DATED 21.07.2025**

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HEREINUNDER :

1. That the instant matter was taken up by this Hon'ble Tribunal based newspaper reports in Dainik Jagran and People Sanwad Data alleging illegal encroachments and constructions on the Kaliasote reservoir land in Bhopal. The reports claim that despite the 2005 Bhopal Master Plan designating a 33-meter green belt around the reservoir, over 2,000 dumpers of solid waste have been illegally dumped in the FTL area to level the land for plotting and allotments. Such actions allegedly violate the Wetland Rules, 2017, the Environmental (Protection) Act,

1986, and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974. Similar illegal landfilling is also reported near the Kerwa Dam in village Mahua Kheda.

2. That this Hon'ble Tribunal vide Order dated 21.07.2025 directed the State PCB to trace out the persons violating the rules and take actions including prosecution as well as assessment of environmental compensation. That the relevant extract from Order dated 21.07.2025 is reproduced hereinbelow :

A perusal of the report reveals that the area in a Full Tank Level (FTL) of Kerwa Dam which was levelled by dumping of Kopra, Murram and Black Cotton Soil approximately 10 feet in height. There are other allegations against the violations of environmental rules for which, the Collector, Bhopal, State PCB and the Municipal Corporation are directed to trace out the persons violating the rules and take actions including prosecution as well as assessment of environmental compensation. It is further directed that the waste which was dumped at the site within the

FTL of Kerwa Dam must be immediately removed by the Bhopal Municipal Corporation. The cost of removal be recovered from the violators. Action taken report be filed within two weeks.

3. That in compliance thereof, an inspection was carried out on 04.08.2025 and it was observed :

- i. During the inspection, due to rainfall, the approach road of approximately 500 meters leading to the site was rendered inaccessible because of potholes and mud.
- ii. In the aforesaid circumstances, the movement of vehicles and machinery (such as poclairn, dumper trucks, etc.) required for the removal of kopra is not feasible.
- iii. At present, there is a possibility that soil and kopra may flow into the reservoir along with rainwater.
- iv. Identification and assessment of the quantity of kopra dumped within the F.T.L. area of the Kerwa Dam, whether on government or private land, is not possible under the prevailing conditions.
- v. Hence, it would be appropriate to undertake the said work during dry conditions.

A copy of Report is marked and annexed herewith as

Annexure R-1.

4. Furthermore, in compliance of the directions of this Hon'ble Tribunal, the Office of the Sub-Divisional

Officer, Water Resources Department, Kolar issued Notices dated 16.06.2025, 07.08.2025 and 10.10.2025 to the violators, to remove the encroachments within seven days or proceedings under the provisions of Section 284 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 will be initiated against the encroachers. The copies of Notices dated 16.06.2025, 07.08.2025 and 10.10.2025 are marked and annexed herewith as **Annexure R-2 (Colly.)**.

5. That, vide letter dated 17.07.2025, the Executive Engineer, Water Resource Department stated that within the F.T.L. area of the Kerwa Dam, approximately 7,000–8,000 cubic meters of soil filling has been carried out over an area of about 6,000–7,000 square meters situated in Khasra Nos. 30, 33, and 34 of Village Mahua Kheda, District Bhopal. Upon the matter being brought to notice, a joint inspection was undertaken along with the Revenue Department, pursuant to which further dumping was restrained and partial removal of the filled soil was executed. However, owing to the substantial volume of the

material, complete removal could not be effected, and consequently, notices have been issued to the concerned persons directing removal of the remaining soil from the F.T.L. area. A copy of letter dated 17.07.2025 is marked and annexed herewith as **Annexure R-3.**

6. It is submitted that, vide letter dated 14.10.2025 the Executive Engineer, Water Resource Department stating that Notices has been issued to the violators for removal of illegal encroachments and due to the substantial volume of the material, complete removal could not be effected, bur the same is under process. A copy of letter dated 14.10.2025 is marked and annexed herewith as **Annexure R-4.**

7. That, vide letter dated 08.10.2025, the Chief Executive Officer, Fanda informed that hat the kopra dumping site are private land, and the details of the landowners along with khasra particulars are not maintained at the Janpad / Gram Panchayat office. Furthermore, it is submitted that in respect of the government or

private land where kopra has been dumped, action against any individual or entity shall be initiated by the Department after proper demarcation. Therefore, for the proposed removal of kopra, a team shall be constituted by the Revenue Department to undertake necessary action accordingly. A copy of letter dated 08.10.2025 is marked and annexed herewith as **Annexure R-5.**

8. Hence, the present Report is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. This Hon'ble Tribunal may, therefore, take the present Report on record and pass any appropriate order(s) that it may deem fit, which will be complied with by the respondents.

Place: Bhopal

Date: 15.10.2025



FILED BY

PARUL BHADORIA

Advocate for MPPCB

Ph. No.: (+91)-80859-77111;

Email: parul.bhadoria04@gmail.com

रिपोर्ट

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में प्रकरण क्र. 49/2025 (सीजेड) राशिद नूर खान विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित दिनांक 21.07.2025 के संबंध में।

संदर्भ:- अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, भोपाल का पत्र क्रमांक 1274, दिनांक 31.07.2025।


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण क्र. 49/2025 (CZ) (राशिद नूर खान विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 21.07.2025 के अनुसार कलेक्टर जिला भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर निगम भोपाल को पर्यावरण नियमों के उल्लंघनकर्ताओं की पहचान कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन सहित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्संबंध में दिनांक 31.07.2025 को कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। तत्पश्चात संदर्भित पत्र द्वारा माननीय एन.जी.टी. के आदेश के परिपालन में जांच करने हेतु कमेटी गठित की गई। जिसमें श्री मुकेश गोयल, एस.डी.ओ., जल संसाधन, श्री रविन्द्र श्रीवास्तव, उपयंत्री, जल संसाधन भोपाल, श्री विवेक राजपूत, पटवारी, तहसील हुजूर भोपाल, श्री दिलीप शिंदे, इन्सपेक्टर, जनपद पंचायत फंदा, श्री जैनेन्द्र चंदेल, रसायनज्ञ, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सुश्री प्रकाम्या तिवारी, ए.ई., क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं श्री शिवम् द्विवेदी, अधिवक्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.08.2025 को स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान समिति द्वारा निम्नानुसार स्थिति पायी गई:-


1. निरीक्षण के दौरान बारिश के कारण स्थल तक पहुँचने का लगभग 500 मीटर का मार्ग गढ़वों एवं कीचड़ होने के कारण एप्रोचेवल नहीं था।
2. उक्त स्थिति में कोपरा हटाये जाने की कार्यवाही हेतु वाहन (पोकलेन, डम्पर ट्रक, आदि) की आवा-जाही संभव नहीं है।
3. वर्तमान में मिट्टी और कोपरा वर्षा जल के साथ बहकर जलाशय में मिल सकते हैं।
4. केरवा डेम के एफ.टी.एल. में शासकीय/निजी भूमि में डम्प की गई कोपरा का चिन्हिकरण तथा मात्रा का आंकलन उपरोक्तानुसार स्थिति में संभव नहीं है।
5. अतः यह कार्य शुष्क स्थिति में किया जाना उचित होगा।



मुकेश गोयल
एस.डी.ओ.,
जल संसाधन, भोपाल


जैनेन्द्र चंदेल
रसायनज्ञ,
क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल


प्रकाम्या तिवारी
सहायक यंत्री,
क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल


दिलीप शिंदे
इन्सपेक्टर,
जनपद पंचायत फंदा,
भोपाल


शिवम् द्विवेदी
अधिवक्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल


विवेक राजपूत
पटवारी,
तहसील-हुजूर, भोपाल

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग,
कोलार कॉलोनी, लिंक रोड नं.-3, भोपाल.


नोटिस क्र.509...../अ.वि.लि./2025
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/06/2025

1. कर्नल श्री अविनाष सिंह, चूनाभट्टी, भोपाल।
2. श्री रॉबिन दत्ता, प्रेमपुरा, भोपाल।
3. श्री तहीर, हज हाउस, भोपाल।
4. श्री ललित अग्रवाल, मोटल सिराज।

विषय :- केरवां जलाशय के डूब क्षेत्र में कोपरा/मिट्टी डालने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के शासकीय जलाशय केरवां के डूब क्षेत्र में बिना अनुमति के शासकीय डूब भूमि पर कोपरा/मिट्टी डाली गई है, जो शासकीय सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द/कब्जा करने की बदनीयत से की गई है। अतएव इस नोटिस के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि केरवां जलाशय के डूबक्षेत्र में कोपरा/मिट्टी डालकर अतिक्रमण किया गया है, जो उचित नहीं है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है सात दिवस के अन्दर डाली गई कोपरा/मिट्टी को हटा ले, अन्यथा आपके विरुद्ध म.प्र. भू.संहिता की धारा 284 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



(मुकेश गोयल)

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग, भोपाल

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग,
कोलार कॉलोनी, लिंक रोड नं.-3, भोपाल.

नोटिस क्र.681...../अ.वि.लि./2025
प्रति,


भोपाल, दिनांक 07/08/2025

1. कर्नल श्री अविनाष सिंह, चूनाभट्टी, भोपाल।
2. श्री रॉबिन दत्ता, प्रेमपुरा, भोपाल।
3. श्री तहीर, हज हाउस, भोपाल।
4. श्री ललित अग्रवाल, मोटल सिराज।

विषय :- केरवां जलाशय के डूब क्षेत्र में कोपरा/मिट्टी डालने बाबत।

संदर्भ :- इस कार्यालय का नोटिस क्रमांक 509/दिनांक 16.06.2025

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित नोटिस द्वारा आपको लेख किया गया था कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के शासकीय जलाशय केरवां के डूब क्षेत्र में बिना अनुमति के शासकीय डूब भूमि पर कोपरा/मिट्टी डाली गई है, जो शासकीय सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द/कब्जा करने की बदनीयत से की गई है। अतएव इस नोटिस के द्वारा आपको पुनः सूचित किया जाता है कि केरवां जलाशय के डूबक्षेत्र में कोपरा/मिट्टी डालकर अतिक्रमण किया गया है, जो उचित नहीं है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है सात दिवस के अन्दर डाली गई कोपरा/मिट्टी को हटा ले, अन्यथा आपके विरुद्ध म.प्र. भूरा. संहिता की धारा 284 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



(मुकेश गोयल)

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग, भोपाल

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग,
कोलार कॉलोनी, लिंक रोड नं.-3, भोपाल.

नोटिस क्र.862.../अ.वि.लि./2025
प्रति,


भोपाल, दिनांक ...10/10/2025

1. कर्नल श्री अविनाष सिंह, चूनाभट्टी, भोपाल।
2. श्री रॉबिन दत्ता, प्रेमपुरा, भोपाल।
3. श्री तहीर, हज हाउस, भोपाल।
4. श्री ललित अग्रवाल, मोटल सिराज।

विषय :- केरवां जलाशय के डूब क्षेत्र में कोपरा/मिट्टी डालने बाबत।

- संदर्भ :-
1. इस कार्यालय का नोटिस क्रमांक 509/दिनांक 16.06.2025
 2. इस कार्यालय का नोटिस क्रमांक 681/दिनांक 07.08.2025

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित नोटिसों द्वारा आपको लेख किया गया था कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के शासकीय जलाशय केरवां के डूब क्षेत्र में बिना अनुमति के शासकीय डूब भूमि पर कोपरा/मिट्टी डाली गई है, जो शासकीय सम्पत्ति को खुद-बुर्द/कब्जा करने की बदनीयत से की गई है। अतएव इस नोटिस के द्वारा आपको पुनः सूचित किया जाता है कि केरवां जलाशय के डूबक्षेत्र में कोपरा/मिट्टी डालकर अतिक्रमण किया गया है, जो उचित नहीं है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है सात दिवस के अन्दर डाली गई कोपरा/मिट्टी को हटा ले, अन्यथा आपके विरुद्ध म.प्र. भू.रा. संहिता की धारा 284 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।




(मुकेश गोयल)

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग, भोपाल

पृ. क्र. /अ.वि.लि./2025
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक

1. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग हुजूर, जिला भोपाल।
3. तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला भोपाल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(मुकेश गोयल)

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग, भोपाल

कार्यालय कार्यपालन यंत्रो, जल संसाधन संभाग,
प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी.नगर, जोन-1, भोपाल.
फोन-2553096, E-mail - eewrdbpl@gmail.com

पत्र क्र. 2591/वि.प्र./ज.सं.स./2024

भोपाल, दिनांक 17/07/2025

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी,
भोपाल।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में प्रकरण कं. 49/2025 (सीजेड) राशिद नूर खान (सुओमोटो) विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य।

संदर्भ :- आपका पत्र कं. 2483/क्षेका/प्रनिबो/2025 भोपाल दिनांक 14.07.2025।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण कं. 49/2025 (सीजेड) राशिद नूर खान (सुओमोटो) विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य ग्राम महुआखेड़ा तहसील हुजूर जिला भोपाल के संबंध में केरवा डेम से आपके द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :-

- 1- केरवा डेम के एफ.टी.एल. सीमा के भीतर मिट्टी भराव की अनुमानित मात्रा 7000 - 8000 क्यूबिक मीटर है।
- 2- केरवा डेम के एफ.टी.एल. में मिट्टी भराव के खसरा कं. 30, 33 एवं 34 है। इसका अनुमानित क्षेत्रफल 6000-7000 वर्गमीटर है।
- 3- केरवा डेम के एफ.टी.एल. के अंदर मिट्टी भराव के संबंध में विभाग के संज्ञान में आने पर राजस्व विभाग से संपर्क स्थापित कर संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया। तथा मौके पर डम्परों द्वारा गिराई जा रही मिट्टी को रोका गया तत्पश्चात विभाग द्वारा वहां से मिट्टी हटाने की कार्यवाही की गई किन्तु मिट्टी मात्रा अधिक होने के कारण पूर्णरूप से मिट्टी नहीं हटाई जा सकी।
- 4- विभाग द्वारा संबंधित व्यक्तियों को मिट्टी हटाने हेतु नोटिस दिये गये है।

केरवा डेम की एफ.टी.एल. सीमा की के.एम.एल. फाईल ई-मेल पर आपको प्रेषित की जा चुकी है।

(नितिन कुहीकर)
कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग, भोपाल

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,
प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी.नगर, जोन-1 भोपाल,
फोन-2553096, E-mail- eewrdbpl@gmail.com

पत्र क्रमांक 3366/ NGT / तक / 2025
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14/10/2025

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण पसिर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल म.प्र.।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में प्रकरण क्रमांक 49/2025 (सीजेड) राशिद नूर खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.07.2025 के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 3340/क्षेका/प्रनिबो/2025 दिनांक 09.10.2025

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा प्रकरण क्रमांक 49/2025 (सीजेड) राशिद नूर खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.07.2025 ग्राम महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के पास स्थित केरवां डेम की एफटीएल सीमा के भीतर मिट्टी/कोपरा भराव से संबंधित बिन्दुवार जानकारी कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2591/वि.प्र./ज.सं.सं./2024 दिनांक 17.07.2025 द्वारा आपकी ओर पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है (सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है)। केरवां जलाशय के एफटीएल में कोपरा/मिट्टी डम्प करने वालों की जानकारी प्राप्त कर उनको अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, भोपाल द्वारा कोपरा/मिट्टी हटाने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये हैं (सुलभ संदर्भ हेतु नोटिस की छायाप्रति संलग्न है)। साथ ही माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के परिपालन में स्थल का संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण भी किया गया था, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(नितिन कुहीकर)
कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग, भोपाल

पृ. क्रमांक 3967/ NGT / तक / 2025
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 14/10/2025

1. अधीक्षण यंत्री (वृहद), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 3211149NGT/OA No.49/2025 दिनांक 09.10.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग हुजूर, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत फन्दा, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(नितिन कुहीकर)
कार्यपालन यंत्री

कार्यालय जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल

कमांक/3924/ज.पं./2025

भोपाल दिनांक 08/10/2025

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी
जिला भोपाल

विषय :- कोरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर परिधि में किये गये निजी भूमि पर निर्माण को हटाने के संबंध में ।

संदर्भ :- क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पत्र
कमांक/2683/क्षेका/प्रनिबो/2025 भोपाल दिनांक 06.08.2025 एवं पत्र
कमांक/2983/क्षेका/प्रनिबो/2025 भोपाल दिनांक 16.09.2025

-000-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि संदर्भित पत्र के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल द्वारा 4 बिन्दुओं से संबंधित जानकारी चाही गई है ।

बिन्दु कमांक 1 कोपरा डंपिंग निजी भूमि के अन्तर्गत है तो भूमियों के भू-स्वामियों का खसरा सहित विवरण - उपरोक्त जानकारी जनपद/ग्राम पंचायत कार्यालय में संधारित नहीं है ।

बिन्दु कमांक 2 उक्त क्षेत्र में कोपरा डाले जाने वाले शासकीय/निजी भूमि पर विभाग द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था पर की गई नामजद कार्यवाही का विवरण - चिन्हांकन होने के उपरान्त कार्यवाही कि जावेगी ।

बिन्दु कमांक 3 एफ.टी.एल. के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल जिसमें कोपरा डम्प किया गया है - जल संसाधन विभाग द्वारा उपरोक्त जानकारी संधारित की जाती है । इस कार्यालय से संबंधित नहीं है ।

बिन्दु कमांक 4 कोपरा हटाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की जानकारी - राजस्व विभाग द्वारा कोपरा हटाने की कार्यवाही हेतु टीम गठित कि जाकर अग्रिम कार्यवाही कि जावेगी ।

आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ ।

पृ.कमांक/3925/ज.पं./2025
प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
भोपाल दिनांक 08/10/2025


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल